५०

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 131/2024
वाद पत्र अं0 धारा 88/53 आर.टी.ए.

राजेन्द्र कुमार पुत्र मोमन राम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज – वादी

बनाम्

1. हंसराज पुत्र मोमनराम
2. कलावती पुत्री मोमनराम
3. शिला देवी पुत्री मोमन राम
4. शिमला देवी पुत्री मोमन राम

} जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.

5. विनोद कुमार पुत्र स्व मायादेवी पुत्री मोमनराम जाति जाट निवासी 12 एम.जे.डी पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.
6. सरोज पुत्री स्व मायादेवी पुत्री मोमनराम जाति जाट निवासी 12 एम.जे.डी पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.
7. मुकेश कुमार पुत्र स्व मायादेवी पुत्री मोमनराम जाति जाट निवासी 12 एम.जे.डी पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.

–प्रतिवादीगण

8. तहसीलदार राजस्व संगरिया

उपस्थित :–1. श्री नरेश मण्डा –वकील वादी
2. श्री संजय धारणिया –वकील प्रति 1 ता 7

दिनांक :– 19.07.2024

निर्णय

वादी राजेन्द्र कुमार ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एव विभाजन हेतू के तहत दिनांक 28–03–2024 को इस न्यायालय में पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अन्तर्गत वही है जो वाद शीर्षक में अंकित है। कि वादी का प्रतिवादी स 1 भाई प्रतिवादी स 2 ता 4 बहिने व प्रतिवादी स 5 ता 7 भानजे/ भानजी है वादी की माता नोहरादेवी व बहिन माया देवी प्रतिवादी स 5 ता 7 की माताक ी मृतयु हो चुकी है वादी एव प्रतिवादीगण एक हि हिन्दु परिवार के सदस्य है वादी के नाम से चक न 12 एस.बी.एन ज.स 2073–2076 के खाता स 93/29 मे कुल 3.002है मे से 1/6 हिस्सा चक न 1 एम.एम.के ज.स 2071–2074 के खाता स 85/32 मे 0.480है मे से 1/6 हिस्सा चक न 3 आर.टी.पी द्वितीय ज.स 2073–2076 के खाता स 69/77 मे वादी की माता नोहरादेवी की मृत्यू हो चुकी है जिसके जायज व कानूनी वारीसान [illegible] है कि वादी पत्र की चरण स 2 मे वर्णित भूमि वादी की साझा खाता मे दर्ज कृषि भूमि [illegible] व प्रतिवादीगण ने घरू तौर पर उक्त भूमि का विभाजन कर लिया है [illegible] 12 [illegible] स 2073–2076 के खाता स 93/29 मे 2.502 है का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रति स 1 ता 7 का नाम कलमजन किया जावे चक न 1 एम.एम.के ज.स 2071–74 के खाता 85/32 मे 0.173है का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 2 ता 4 का ब.हि.ब हिस्सा कम [illegible] जावे चक न 3 आर.टी.पी द्वितिय जमाबंदी स 2073–76 के खाता स 69/77 मे 0.738है का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रति स 5 ता 7 का नाम कलमजन किया जावे प्रतिवादी स 2 ता 4 का ब.हि.ब हिस्सा उसी हद तक हिस्सा कम किया जावे जिसे वादी अच्छी मन्दी व घरेलू बंटवारा मे अनुसार खाता घोषित करवाने के अधिकारी व दावेदार है कि वादी की मोका पर अच्छी मंदी व घरेलू बंटवारा के अनुसार ही अपनी कृषि भूमि काश्त करता चला आ रहा है कबजा काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.08.06 13:33:4
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

बाबत कोई विवाद नही है जिसका वादी खाता विभाजन कर रकम राज अलग से कायम करवाने के अधिकारी व दावेदार है वादी के कब्जा काश्त की भूमि निम्न प्रकार से है

(क)वादी राजेन्द्र कुमार पुत्र मोमन राम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज को प्राप्त कृषि भुमि का विवरण निम्न प्रकार से है

चक न 12 एस.बी.एन खाता स 93/25

प.न	मु.न	कि.न
174/196	8	15/1/0.013है,15/2/0.004है 15/3/0.012है
175/195	7	18/2/0.025है,22/2/0.012है 22/3/0.030है ,23/2/0.013है 23/3/0.012है
175/196	9	2/1/0.164है,2/2/0.025है,2/3/0.038है 9/2/0.240है,9/2/0.013है, 10//1/0.063है,10/2/0.010है 10/1/0.063है ,10/2/0.010है,10/3/0.051है 11/1/0.215है,11/2/0.012है,11/3/0.026है 12,13,14,15,17,18,19/0.253है प्र
176/196	10	11/0.253है बरानी प्रथम

कुल–3.002है मय गे.मु

चक 1 एम.एम.के खाता स 85/32

प.न	मु.न	कि.न
174/195	19	19/0.253है

चक 3 आर.टी.पी द्वितिय खाता स 69/77

प.न	मु.न	कि.न
187/191	60	13/0.253 ,14/1/0.126है, 16/1/0.228है,16/2/0.025है, 17/0.253है,18/0.253है,

कुल–1.138है मय गे.मु

कि वादी मोका पर वाद पत्र की चरण स 4 के खण्ड क के अनुसार ही काबिज है कब्जा काश्त बाबत् किसी तरह का कोई विवाद नहीं है लेकिन राजस्व रिकार्ड में कब्जा अनुसार विभाजन न होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारो पर बुरा असर पड़ता है व रकम राज वाटरमेन्ट शुल्क आदि राज्य सरकार को अदा करने में कठिनाईया आती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा की आप विवाद ग्रस्त आराजी का वादी को दावा की चरण सं. 4 के अनुसार कृषि भूमि की विभाजन होना मान लो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटौल करते रहे लेकिन अंत में पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण, वादी की बात मानने से कतई तौर पर इन्कार हो गये यही वाद कारण है। कि प्रतिवादी सं. 8 को भूमि धारक होने के कारण पक्षकार के रूप संयोजित किया गया है कि वाद कृषि भूमि के जोत के विभाजन का है जो कि उचित [illegible] पर प्रस्तुत है व अन्दर मियाद है माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार [illegible] है। [illegible] वाद वादी निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे। चक न 12 एस.बी.एन ज.स 2073–2076 [illegible] खाता स 93/29 मे 2.502 है का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी [illegible] कलमजन किया जावे चक न 1 एम.एम.के ज.स 2071–74 [illegible] खाता 85/32 [illegible] का [illegible] ब.हि.ब हिस्सा उसी हद तक कम किया खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 2 ता 4 का ब.हि.ब हिस्सा उसी हद तक कम किया जावे चक न 3 आर.टी.पी द्वितिय जमाबंदी स 2073–76 के खाता स 69/77 मे 0.738है का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रति स 5 ता 7 का नाम कलमजन किया जावे प्रतिवादी स 2

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.08.06 13:33:46
Reason: SelfAttested

(42)

ता 4 का ब.हि.ब हिस्सा उसी हद तक हिस्सा कम किया जावे कि वाद पत्र की चरण 4 के खण्ड क के अनुसार खाता विभाजित कर रकमराज अलग से कायम किया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी.स 1 ता 7 ने हाजिर अदालत आकर जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश किया जो तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया प्रतिवादी.सं. 8 तहसीलदार राजस्व संगरिया का जवाब दावा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम न कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर प्रदान किया गया साक्ष्य वादी मे वादी ने शपथ पत्र अ आ 18 नि 4 सी.पी.सी पेश किया सलग्न जमाबंदी प्रदर्श 1 ता 3 है उभयपक्ष अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहते इस लिए साक्ष्य बंद किया गया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र में हुए राजीनामा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादी स 1 ता 7 का खाता मुताबिक राजीनामा खातेदार काश्तकार घोषित कर घोषणा इस आशय कि फरमाई जावे की चक न 12 एस.बी.एन ज.स 2073–2076 के खाता स 93/29 मे वादी राजेन्द्र कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी स 1 ता 7 का नाम कलमजन किया जावे चक न 1.एम.एम.के खाता 85/32 मे 0.160 है का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 2ता 7 का नाम कलमजन किया जावे व चक न 3 आर.टी.पी द्वितिय के खाता स.69/77 मे वादी राजेन्द्र कुमार को 0.759है व प्रतिवादी स 1 को 0.922है का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 2 ता 7 के नाम कलमजन किया जावे। वकील प्रतिवादीगण ने वकील वादी के कथनो का विरोध नही करते हूऐ मुताबिक वादी व प्रति स 1ता7 के राजीनामा के आधार पर वाद पत्र को डिक्री करने हेतू निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्तागण पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 आराजी के सह–काश्तकार है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 7 ने हाजिर आकर वादग्रस्त आराजी बाबत अपना राजीनामा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है।वादी के वाद पत्र का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी व प्रतिवादी स 1 ता 7 का खाता मुताबिक राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाता है कि:– कि मुताबिक राजीनामा घोषणा इस आशय कि फरमाई जाती है की चक न 12 एस.बी.एन ज.स 2073–2076 के खाता स 93/29 मे वादी राजेन्द्र कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी स 1 ता 7 का नाम कलमजन किया जाता है व चक न 1 एम.एम. के खाता 85/32 मे 0.160 है का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 2 ता 7 का नाम कलमजन किया जाता है व चक न 3 आर.टी.पी द्वितिय के खाता स 69/77 मे वादी राजेन्द्र कुमार को 0.759है व प्रतिवादी स 1 को 0.922है का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 2 ता 7 के नाम कलमजन किया जाता है।

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे।

राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 19.7.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.08.06 13:33:46
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

(43)

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– **राकेश कुमार मीना** (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 131 / 2024
वाद पत्र अं.धारा :– 88 / 53 आरटीए

राजेन्द्र कुमार पुत्र मोमन राम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज
– वादी

बनाम्

1. हंसराज पुत्र मोमनराम
2. कलावती पुत्री मोमनराम
3. शिला देवी पुत्री मोमन राम
4. शिमला देवी पुत्री मोमन राम

(1–4) जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.

5. विनोद कुमार पुत्र स्व मायादेवी पुत्री मोमनराम जाति जाट निवासी 12 एम.जे.डी पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.
6. सरोज पुत्री स्व मायादेवी पुत्री मोमनराम जाति जाट निवासी 12 एम.जे.डी पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.
7. मुकेश कुमार पुत्र स्व मायादेवी पुत्री मोमनराम जाति जाट निवासी 12 एम.जे.डी पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.
8. तहसीलदार राजस्व संगरिया

--प्रतिवादीगण

दिनांक :– 19 / 07 / 2024.

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नरेश मण्डा वकील वादी मिन जामिन मुदई व श्री संजय धारणिया वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 7 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है :– कि मुताबिक राजीनामा घोषणा इस आशय कि फरमाई जाती है की चक न 12 एस.बी.एन ज.स 2073–2076 के खाता स 93 / 29 मे वादी राजेन्द्र कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी स 1 ता 7 का नाम कलमजन किया जाता है व चक न 1 एम.एम.के खाता 85 / 32 मे 0.160 है का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 2 ता 7 का नाम कलमजन किया जाता है व चक न 3 आर.टी.पी द्वितिय के खाता स 69 / 77 मे वादी राजेन्द्र कुमार को 0.759है व प्रतिवादी स 1 को 0.922है का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 2 ता 7 के नाम कलमजन किया जाता है। वादी व प्रतिवादी स 1 की राजीनामा मे वर्णित भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है।

(क) वादी राजेन्द्र कुमार को प्राप्त कृषि भुमि का विवरण निम्न प्रकार से है

चक न 12 एस.बी.एन खाता स 93 / 29

प.न	मु.न	कि.न
174 / 196	8	15 / 1 / 0.013है,15 / 2 / 0.004है 15 / 3 / 0.012है 18 / 2 / 0.025है,22 / 2 / 0.012है
175 / 195	7	22 / 3 / 0.030है 23 / 2 / 0.013है 23 / 3 / 0.012है
175 / 196	9	2 / 1 / 0.164है,2 / 2 / 0.025है,2 / 3 / 0.038है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.08.06 13:33:46 IS
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(44)

9/1/0.240है,9/2/0.013है,
10/1/0.063है,10/2/0.010है
10/3/0.051है,11/1/0.215है,11/2/0.012है,
11/3/0.026है

176/196 10 12,13,14,15,17,18,19/0.253है प्र
11/0.253है

कुल–3.002है मय गे.मु

चक न 1 एम.एम.के खाता स 85/32

प.न	मु.न	कि.न
174/195	19	19/0.240है

चक 3 आर.टी.पी द्वितिय खाता स 69/77

प.न	मु.न	कि.न
187/191	60	13/0.253 ,14/1/0.126है, 16/1/0.228है,16/2/0.025है, 17/0.253है,18/0.253है

कुल–1.138है मय गे.मु

(ख) प्रतिवादी स 1 हंसराज को प्राप्त कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है

चक न 1 एम.एम.के खाता स 85/32

प.न	मु.न	कि.न
174/195	19	18/0.202है,19/0.013है जो कि.न 18के चिपता 23/0.025है

चक न 3 आर.टी.पी द्वितिय खाता स 69/77

प.न	मु.न	कि.न
188/191	61	19,20,23,24,25/0.253है प्र

राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे

नोटः– बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निज....X....नल....X....मुब्लिक....X....निल....X....बाबत....X....निल....X....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक ....X....अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.07.2024 जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.06 13:33:46 IST
Reason: SelfAttested